

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रवेश नियम
सत्र 2019–20

1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) इंजीनियरिंग संस्थाओं में बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 2–15
2	निजी (Private) क्षेत्र के लिये निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में बी.ई. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु	पृष्ठ 16–28
3	विभिन्न प्रारूप	पृष्ठ 29–41
4	संस्थावार उपलब्ध सीटों की संख्या (बी.ई.)	पृष्ठ 42–60

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

	के लिये आपना विकल्प नहीं दिया है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 95 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।
	स) उन संस्थाओं में, जिन्होंने प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 5 प्रतिशत केवल अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से भरने के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तथा जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्थागत प्राथमिकता प्रवर्ग के अधीन 10 प्रतिशत तक स्थान भरने के लिये अनुज्ञा मिल गयी है, सामान्य पूल में स्वीकृत अन्तर्ग्रहण का 85 प्रतिशत (यदि अनिवासी भारतीय वाले स्थान नहीं भरे गए हैं तो ये स्थान सामान्य पूल के स्थानों में संपरिवर्तित हो जाएंगे) ।

- (क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध कराई जावेगी ।
- (ख) यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी ।
- (ख-1) विद्यमान संस्था/पाठ्यक्रमों की निरंतरता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परीषद नई दिल्ली एवं संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रदान नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाओं को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा ।

2.4.2 स्थानों का आवंटन/आरक्षण-

प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अंतर्ग्रहण के 85, 95, 100 प्रतिशत स्थानों में से) 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों (अन्य पिछड़े वर्गों की प्रवर्गों के क्रीमीलियर को छोड़कर) के लिये जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा क्रमशः आरक्षित रखे जायेंगे । विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो तो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण पत्र इस नियम पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप में परामर्श के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रवेश परीक्षा के आधार पर यदि द्वितीय चरण की काउंसलिंग आयोजित की जाती है तब प्रथम चरण के

14. "OP"सीटों से अभिप्रेत है महिला या पुरुष अभ्यर्थी;
15. "F" सीटों से अभिप्रेत है महिला अभ्यर्थी;
16. "मध्यप्रदेश सीटों" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिये आरक्षित सीट;
17. "शिक्षण शुल्क छूट योजना सीटों" से तात्पर्य ऐसी सीटों से है जिसके सम्बन्ध में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं जिनमें गतवर्ष प्रवेश क्षमता के न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रवेश हुए हों उन संस्थाओं में उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य (Supernumerary) रहेंगे, प्रवेश केवल मध्यप्रदेश के मूल-निवासी अभ्यर्थियों, जिनके परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 8.00 (आठ) लाख से अधिक ना हो, को दिया जावेगा।
18. "AI" सीटों से अभिप्रेत है ऑल इंडिया सीट;

19 मध्यप्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) हेतु आरक्षण :- मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्ववित्तीय संस्थाओं (विश्वविद्यालयीन) एवं स्वशासी संस्थाओं में प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-07-11/2019/आ.प्र./ एक भोपाल, दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) अभ्यर्थियों हेतु उपलब्ध होंगे।

1.3 लागू होना:- ये नियम मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, स्वशासी, स्ववित्तीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे।

1.4 प्रवेश नियम:-

समस्त संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.4.1 स्थानों की उपलब्धता

बी.ई./ बी.टेक. संस्थाओं में उपलब्ध सीटें :-

स.क्र.	संस्था का प्रकार	प्रवेश क्षमता का प्रतिशत
1	मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय। स्वशासी, स्ववित्तीय एवं विश्वविद्यालयीन संस्थाएँ	90 प्रतिशत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिये सीटें 5 प्रतिशत अनिवासी भारतीय सीटें 5 प्रतिशत ऑल इंडिया सीटें (अनिवासी भारतीय सीटें एवं ऑल इंडिया सीटें रिक्त रहने पर म.प्र. सीटों में परिवर्तित)

नोट :-

(क) विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्थानों की अद्यतन जानकारी परामर्श (Counselling) संचालित करने वाले सक्षम प्राधिकारी की वेबसाइट <https://dte.mponline.gov.in> पर उपलब्ध कराई जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
एम.ई./एम.टेक. तथा एम. फार्मसी पाठ्यक्रमों के प्रवेश नियम
Admission Rules for M.E./M.Tech.(Full Time/Part
Time) & M.Pharmacy
Session 2019-20

1	शासकीय (Govt.) क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित शासकीय, स्वशासी, अनुदानप्राप्त अशासकीय, स्वशासी एवं स्ववित्तीय (विश्वविद्यालयीन) संस्थाओं में एम.ई./एम.टेक. (फुल.टाईम./पार्ट. टाईम)/एम.फार्मसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु For admission in first year of M.E./M.Tech. (F.T./P.T.) /M.Pharmacy course in Government, Institution declared Autonomous by the State Government, Government Aided Institutions and Self-Financing Autonomous Institutions (Universities)	पृष्ठ 2-10
2	निजी (Private) क्षेत्र के अंतर्गत निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में एम.ई./एम.टेक. एवं एम.फार्मा. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु For admission in first year of M.E./M.Tech. (F.T./P.T.) & M.Pharma. course in Private Professional Education Institutes	पृष्ठ 11-18
3	विभिन्न प्रारूप Various Proforma	पृष्ठ 19-24
4	एम.ई./एम.टेक. एवं एम.फार्मा. पाठ्यक्रमों हेतु पात्रता (Eligibility for M.E./M.TECH. Courses) Table-1	पृष्ठ 25-47
5	संस्थाओं में एम.ई./एम.टेक. एवं एम.फार्मा. पाठ्यक्रम में संभावित सीटों की संख्या (Tentative Seats In M.E./M.TECH./ M.Pharm. Course In Institutes) Table-2&3	पृष्ठ 48-64

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

- (xiii) 'Open Seats' means seats open to both Female & Male Candidates.
- (xiv) 'F' Seats means Female Candidates.
- (xv) 'M.P. Seats' means seats reserved for the residents of State of Madhya Pradesh.
- (xvi) 'AI Seats' means seats to be filled on All India basis.

1.3 Applicability:

These rules shall be applicable to Government, institution declared autonomous by the State Government, Government aided institutions and Self-financing autonomous institutions which are conducting M.E./M.Tech. (F.T./P.T.)/M.Pharmacy courses as approved by the AICTE.

1.4 Admission rules –

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under-

1.4.1 Availability of seats –

(1) Approved intake capacity available in various technical/professional educational institutions shall be available on the website (<https://dte.mponline.gov.in>) of the Competent Authority conducting counselling.

(2) If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied is granted by the appropriate authority on or before **30th June** of that year, the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government, however in case of any change in the number of sanctioned seats of the existing institutes, the condition to get re-affiliation from the respective university, shall not apply.

(3) If extension of approval by AICTE and affiliation by concerned university does not provided to the existing institution / course then such institution will not be included in the counselling.

1.4.2 Reservation of seats:

16%, 20% and 14% of the seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (excluding Creamy Layer) respectively.

NOTE:

- (a) A candidate can claim reservation under only one of the various reserved categories.
- (b) A candidate, claiming reservation under a reserved category shall have to produce relevant certificate/certificates in proforma prescribed by the Government of MP at the time of verification of documents.

1.4.2.1 Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) Category of Madhya Pradesh:

A candidate claiming to be either of SC or ST category of MP shall have to produce a certificate at the time of verification of documents from the competent authority in Prescribed Formate Attached प्रारूप-1 **annexure -1** (Vide MP Government GAD order No. F.7-2/96 आ.प्र./1, भोपाल, दिनांक 01.08.1996 and as per latest order issued by the Govt. of M.P.

- (xiii) 'Open Seats' means seats open to both Female & Male Candidates.
- (xiv) 'F' Seats means Female Candidates.
- (xv) 'M.P. Seats' means seats reserved for the residents of State of Madhya Pradesh.
- (xvi) 'AI Seats' means seats to be filled on All India basis.
- (xvii) "**Reservation for Economical weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh**" means As per the Government of Madhya Pradesh GAD Letter No. एफ-07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल, Dated 02 July 2019, Ten Percent (10 %) Seats of approved intake will be available for admission in Masters of Engineering /Techenology (M.E./M.Tech.) and M. Pharmacy courses for Economically weaker section (EWS) candidates of Madhya Pradesh.

1.3 Applicability:

These rules shall be applicable to Government, institution declared autonomous by the State Government, Government aided institutions and Self-financing autonomous institutions which are conducting M.E./M.Tech. (F.T./P.T.)/M.Pharmacy courses as approved by the AICTE.

1.4 Admission rules –

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under-

1.4.1 Availability of seats –

(1) Approved intake capacity available in various technical/professional educational institutions shall be available on the website (<https://dte.mponline.gov.in>.) of the Competent Authority conducting counselling.

(2) If permission is granted to any new institution or the number of seats in any existing institution are varied is granted by the appropriate authority on or before **30th June** of that year, the same may be incorporated in counselling of that year, provided that the institution gets the affiliation from the respective University and have a permission from the State Government, however in case of any change in the number of sanctioned seats of the existing institutes, the condition to get re-affiliation from the respective university, shall not apply.

(3) If extention of approval by AICTE and affiliation by concerned university does not provided to the existing institution / course then such institution will not be included in the counselling.

1.4.2 Reservation of seats:

16%, 20% and 14% of the seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST) and Other Backward Classes (excluding Creamy Layer) respectively.

NOTE:

- (a) A candidate can claim reservation under only one of the various reserved categories.
- (b) A candidate, claiming reservation under a reserved category shall have to produce relevant certificate/certificates in proforma prescribed by the Government of MP at the time of verification of documents.